

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189



कुडुख लोककथाओं में अन्तर्निहित लोक जीवन मूल्य

ORIGINAL ARTICLE



Authors

प्रतिमा कुजूर

शोधार्थी, हिंदी विभाग

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय

अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़

डॉ. मृदुला सिंह

शोध निदेशक

विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग

अम्बिकापुर सरगुजा, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

उर्गाँव समाज में लोककथा की प्रसारणिकता आज भी गाँव-देहातों में बनी हुई है, जो संचार के साधनों से दूर है। लोक कथाएँ हमारी प्राचीन धरोहर हैं। इस प्राचीन धरोहर में हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास समेकित है। लोककथाओं में लोक जीवन की झाँकी में लोगों के सुख-दुख की अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही यह मनोरंजन के साथ श्रम का परिहार भी करते हैं, मनुष्य की कल्पनाशीलता के कारण लोककथा में मानव जीवन की उन घटनाओं का वर्णन है जो उनके जीवन में घटित हुआ होगा, जो कथा रूप में मौखिक परंपरा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लोककथा संस्कृति की वाहक होती है। कुछ लोककथाएँ अपने अंचल विशेष में कहीं सुनी जाती हैं, कुछ अपने परिवेश से निकलकर थोड़े परिर्यातन के साथ विश्वव्यापी हो जाती हैं। इन लोककथाओं में लोकगीतों का संयोजन, उसे और अधिक रोचक और सरस बना देती है। ये लोककथाएँ मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रकृति के अंगों के साथ जुड़ी हुई हैं। प्राचीन समय से ही समाज में नारी सदैव से शोषित-उत्पीड़ित रही है और उसकी यहीं पीड़ा लोककथाओं में व्यक्त हुई है। नारी अपना दुःख चिड़ियों, पेड़ों, नदियों से और प्रकृति के अन्य उपादानों से साझा करती है। नारी अपनी पीड़ा को लोकगीतों के माध्यम से हृदय की बात कहने की परिपाठी सबसे अधिक प्रिय और संप्रेषणीय रही है। आधुनिकता के प्रभाव से लोककथाएँ विलुप्ता के कगार पर हैं। आज इनके संकलन, अन्वेशण पुनर्लेखन और विश्लेषण की आवश्यकता है, प्रस्तुत शोध पत्र का यहीं उद्देश्य है।

मुख्य शब्द

लोककथाओं, संयोजन, स्त्री चेतना, झाँकी, अंचल, धरोहर.

भूमिका

कुडुख साहित्य में लोककथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। लोककथाएँ लोक जीवन की यथार्थ जीवन की झाँकी प्रस्तुत करती हैं इसमें लोगों की सुख-दुख, शिक्षा, मान्यताओं की अभिव्यक्ति होती है, साथ ही ये मनोरंजन के साथ श्रम का परिहार भी करती हैं। मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता के कारण अपने आसपास की घटनाओं और यथार्थ को लोककथा के रूप में कहता आ रहा है।

लोककथाएँ संस्कृति की वाहक होती है और वह संस्कृति की अनेकानेक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करती है साथ ही अनेक लोककथाएँ लोगों की स्थिति को अभिव्यक्त करती हैं। इन लोक कथाओं में अनेक स्त्रियों की संघर्षमय जीवन व्यक्त हुए हैं इन लोककथाओं से मालूम होता है कि प्राचीन काल में आदिवासी लोगों की दशा अच्छी नहीं थी। लोक हृदय के निर्माण में स्त्री मानस की अपनी एक अलग भूमिका है। एक ओर वे लोक संस्कृति को आगे बढ़ाते रहने का जिम्मा निभाते हैं तो दूसरी ओर लोक साहित्य में अपने आकांक्षाओं, आवेदनों की अभिव्यक्ति करते हैं। स्त्री की वेदना और उसके सपनों के बिना लोक साहित्य का कोई अंग पूरा नहीं होगा।¹

हस्तांतरण की प्रक्रिया में लोक कथाओं में आंशिक रूप से क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन भी होते हैं। कुछ लोककथाएँ अपने अंचल में ही कही सुनी जाती हैं। तो कुछ अपने अंचल से निकलकर अन्य क्षेत्रों तक पहुँचती है, कुछ लोककथाएँ थोड़े परिवर्तन के साथ विश्वव्यापी हो जाती है। लोककथाएँ जीवन मुक्ति होती है और इनमें सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और उपदेश निहित होते हैं जो स्वाभाविक और सहज ग्राह्य भी हैं। कुछ साहित्य में लोककथाओं को 'खीरी' कहा जाता है। लोककथाएँ मुख्य रूप से वाचिक और मौखिक रूप में मिलती हैं। लोक कथाओं की अपनी—अलग विशेषताएँ होती हैं। इसमें अश्लील श्रृंगार नहीं होता, इनमें लोकमंगल की भावना होती है। इनमें खासकर रहस्य, रोमांच और अलौकिकता की प्रधानता होती है। लोककथाओं का सृजन करने वाला कौन है? यह कोई नहीं जानता है। वस्तुतः लोककथाओं का सजृन करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता परन्तु उसे कहने या सुनने वाले अनेक लोग हो सकते हैं। लोककथा वाचिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया में लोककथाकार अपने ओर से उसमें कुछ जोड़ता घटाता चलता है, किन्तु इसमें कथा का मूल संदेश बना रहता है। कुछ लोककथाएँ वर्णात्मक होते हैं। इनका अंतः सुखद और संयोग में होता है। इनकी आशा सरल और सुबोध होती है तथा इनमें स्थानीय बोलियों के शब्दों की प्रधानता होती है जिनके कारण वह अधिक सहज रूप से विश्वसानीय और सुनने वाले पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। लोककथा सुनाने व कहने वाले मान्यतः उस समाज या घर के बुजुर्ग होते हैं। लोककथा कहने वालों में बुजुर्ग स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब दादा—दादी या नाना—नानी भूत प्रेतों की जंगल की डरावनी आवाज, जानवरों की, परियों की, चिड़ियों की कथा सुनाते हैं तो हँकारी भरते—भरते कब नींद के आगोश में चले जाते हैं, सपनों में उन लोककथाओं का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। जेर की दुपहरी ग्रामीण अंचल की महिलाएँ भोजन के पश्चात् घर के किनारे छांव में चटाई बनाती हैं, ज्ञाझू बनाती हैं, पुराने कटे—फटे कपड़ों से गोदड़ी बनाती हैं। इसी समय कई लोककथाएँ बातों—बातों में निकलती हैं और उन लोककथा के साथ उनका कार्य भी पूरा हो जाता है।²

प्राचीन समय से ही समाज में नारी सदैव से शोषित उत्पीड़ित रही है और उसकी यही पीड़ा लोक कथाओं में भी व्यक्त होती है। नारी अपना दुख चिड़ियों, पेंडो, नदियों को प्रकृति के अन्य उपादानों से साझा करती है। उस पीड़ा को नारी लोक गीतों द्वारा भी व्यक्त करती है जो लोक गीत के माध्यम से हृदय की बात कहने की परिपाठी सबसे अधिक प्रिय और संप्रेशणीय रही है। इस तरह से लोककथाओं में स्त्री की स्थिति अभिव्यक्त हुई है। जशपुर अंचल में सात भाइयों का एक लोककथा है, इस लोककथा में बहन घर का सारा काम खत्म करने के बाद तालाब से निकलने वाला नाला के पानी में नहाने गई। कुछ दूरी में भाइयों द्वारा खेत की जुताई कर रहे थे। नाले के पानी में बहन का सिर का बाल बह रहा था। बाल की सुन्दरता को देखकर भाइयों के मन में प्रश्न उठा कि बाल इतना सुन्दर है तो फिर उसका शरीर का मांस खाने में कितना अच्छा होगा? और बाल की सुन्दरता के कारण अपनी ही बहन को पकाकर खा गए।

सात भाइयों का एक अन्य लोककथा है जिसमें सात भाई जंगल में शिकार करने जाते हैं तो बहन उन्हें सकुशल वापस आने की कामना करती हुई गाती है:

"सेंदरा कादय भइया कारेगा कादय,
माझी माझी भइया अमके माना भाई रे मोरा"³

एक अन्य लोककथा में भाई जुए के खेल में अपनी बहन को दांव पर लगा देता है। जुए में हारने के पश्चात् भाई छलपूर्वक बहन को डोम युवक को सौंपने के उद्देश्य से अपनी बहन को सरोवर से कमल का फूल तोड़ लाने

की बात कहता है जहाँ डोम युवक पहले से छुपा बठा होता है, बहन सरोवर के पानी में उतरती है, उसे बहुत डर लगता है लेकिन वह अपने भाई की खातिर गहरे पानी में उतरने को तैयार हो जाती है। जल स्तर की अधिकता के कारण फूल उसके हाथ नहीं आता है। बाद में भाई को अपनी बहन की सारी बातें को याद कर सरोवर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है तब तालाब के अंदर से आवाज आती है:

“फिरी जा हो, फिरी जा हो,
रवनी हो, सुखनी भझ्या हारले जुआ
खेलत हो राम”⁴

इस प्रकार लोककथाएँ मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रकृति के विविध अंगों से जुड़ी हुई हैं। सूरज, चाँद, मछली, मेंढक, पक्षी, जानवर सभी की अभिव्यक्ति पाते हैं। स्त्री मन की पीड़ा और सौतिया डाह की भी लोक कथाओं में अभिव्यक्ति मिलती है। एक लोककथा ‘मुक्का जिया’ जिसमें कइलूस की पत्नी की मृत्यु के बाद बेटा रघु के पालन में कठिनाई होने के कारण रूपा नामक दूसरी पत्नी से विवाह किया, कईलूस तो रूपा की सुंदरता में मोहित होकर उसका जीवन सखुमय हो गया, किन्तु बेटा रघु के जीवन में संकट का साया छा गया था। कुछ सालों बाद कइलूस की मृत्यु के बाद रूपा तीन बच्चों का पालन पोषण करती है। इस लोककथा में स्त्री की संर्घषमय जीवन की अभिव्यक्ति हुई है और सभी बच्चों का ख्याल रखती हुई धैर्य, साहस से जीवन में आगे बढ़ती है।

इसी तरह एक अन्य लोककथा है ‘कनी भूत’ जिसमें एक स्त्री अपनी बेटी के साथ जीवयापन करती थी। बेटी एक आंख से अंधी होने के कारण ‘कनी’ कहते थे। गांव में पंचायत बैठाकर उस असहाय स्त्री को टोनही कहकर गांव से बाहर खदेड़ देते हैं। जब वह अपने सामान के साथ मायके वापस आती है रास्ते में नदी किनारे पानी पीने के लिए हड़का (पेटी) एक जादुई पेटी में बदल गया। जब लोग उस जादुई पेटी के पास आते थे तो उन्हें अच्छे कर्म करने वाले को रंग-बिरंगे कपड़े मिलते थे। कहा जाता कि इस तरह कई सालों तक चलने के बाद कुछ कारणों से जादुई पेटी से कपड़ा मिलना बंद हो गया। शिक्षा के अभाव में इस तरह की बुराई समाज में फैली हुई है। वस्तुतः लोक-कथाएँ कुछुख आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कहानी कहने की प्रवृत्ति का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना स्वयं मनुष्य की वाणी का। इन लोक-कथाओं में आदिवासी जीवन का अंतरंग झलकता है। इन कथाओं के पात्र पशु-पक्षी मानव की बोली बोलते हैं, देवता-दानव अद्भूत कार्य करके सबको चकित कर देते हैं। इन कथाओं का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ जातीय एवं सामाजिक रीति-रिवाजों को जीवित रखना तथा धार्मिक विश्वासों को अधिक प्रभावशाली बनाना है। उत्पीड़न का वर्णन भारत के सभी क्षेत्रों की लोककथाओं में मिलता है। लोक कथाओं में स्त्री चेतना के साथ उनके सशक्तिकरण का स्वर भी मिलता है। स्त्री का स्थान उच्च है, निसंदेह कहा जा सकता है कि स्त्री के स्वाभिमान और चेतना को विस्तार मिलता है। पूर्वांचल की एक लोककथा ‘मयना’ में धरमूस और कर्मी पति-पत्नी दोनों एक सुखी जीवन जी रहे थे। धरमूस कष्टक होने के कारण अपने, खुद के खेतों में धान, सब्जी पैदा कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी पत्नी कर्मी मिलनसार और समझदार हाने के कारण समाज के लोगों का नेतृत्व करना चाहती थी। गांव के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। गांव के कुछ दलालों द्वारा महुआ दारू बनाकर बेचा जाता था। गांव में दारू मिलने के कारण आसपास के सारे युवक और पुरुष को पीने की लत हो गयी थी। वे घरों में लड़ाई-झगड़ा करते थे तो धरमूस की पत्नी कर्मी लोगों को घर जाकर समझाती थी, गांव की महिलाओं को अच्छाई और बुराई के बारे में बताती थी जिसके कारण इन दलालों की दारू भट्टी में लोगों का आना कम हो गया था। इन दलालों को पता चला कि धरमूस की पत्नी कर्मी लोगों को समझाती है जिसके कारण उनका दारू भट्टी बंद होने के कगार पर है, यह जानकर कर्मी को मार डालने की योजना बनाते हैं और उसे निर्दयता के साथ उसकी हत्या कर देते हैं। धरमूस अपनी पत्नी के वियोग में कहता है कि काश तुम लोगों को सिखाना-समझाना छोड़ देती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक दिन वह आंगन में बैठा था, आंगन में शहतूत को खाने चिंडिया मायना रोज आती है और उसके आसपास उछल कूद करते हुए चीं-चीं करती है, धरमूस उस मयना से बात करता वह भी उसे रोज दाना देता है, यह सिलसिला कई दिनों तक चलने लगा और उस मयना को कर्मी समझकर एक पिंजरा में अपने साथ रख लेता है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि कुडुख लोककथाओं में आदिवासी जीवन के विभिन्न पक्षों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आदिवासियों पर बड़ा ही दूतगामी प्रभाव पड़ा है। कुडुख लोककथा ग्रामीण परिवेश के बातों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करती है। आदिवासी जीवन शैली के विविध अवयव, यथा—रुद्धि, परंपरा, लोकगीत, प्रेम—दुलार, सामाजिक रीति—रिवाज को अभिव्यक्त करती है। कुडुख लोककथाओं के द्वारा उनकी आदिवासियत एवं आदिवासियों के संस्कृति, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना, उनकी भाषा एवं संवेदना जुड़ी हुई है। जो उनकी सहजता स्वाभाविकता और सरलता के परिचायक हैं। प्रकृति के उपादानों का मानवीकरण कर उनका महत्व सिपित करते हैं। जिससे सभ्य समाज उनके उपयोगी मूल्यों से लाभान्वित होते हैं। विलुप्त होने वाले लोककथाओं का संग्रह एवं अप्रकाशित लोककथाओं का संरक्षण होगा। समाज में व्याप्त बुराई, अंधविश्वास, रुद्धिवादी, नशापान की बुराई से मुक्त होकर एक सभ्य परिवार, सभ्य समाज, सभ्य देश का निर्माण होगा।

संदर्भ सूची

1. उराँव, तेतरु (2021) उराँव लोक साहित्य, झारोखा, रांची, झारखण्ड, पृ. 187।
2. भगत, महेश (2017) कुडुख कथा कथपंडी गही कुन्दरना अरा परदना, (Kurukh Literary Society of India) नई दिल्ली, अक्टूबर 2017, पृ. 3।
3. खोड़हा, वलकुरिया (2017) हिन्दी राजी कुडुख, नई दिल्ली, अक्टूबर 2017।
4. उराँव, तेतरु (2021) उराँव लोक साहित्य, झारोखा, रांची, झारखण्ड, ।
5. उराँव, महावीर (2000) खीरी झारिया, काथलिक प्रेस, रांची, पृ. 3।
6. टिरकी, भीखू (2018) पुस्तक गहि तिंगका खीरी अरा बुझुर नखरना, द्वितीय संस्करण, पृथ्वी प्रकाशन, झारोखा, रांची, झारखण्ड, पृ. 362।

—==00==—